निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 158 / 2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

सत्यदेव शर्मा पुत्र पुष्करमल शर्मा निवासी ग्रा.पो. कुहाड़ा तहसील कोटपूतली,
जिला कोटपूतली–बहरोड. अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।
प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

दिनांक 25.11.2025

निर्णय

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रमारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई / 2025 / 518 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला कोटपूतली–बहरोड़ को अन्तरण किया गया था, जिसकी पालना में उनके पत्रांक जिपजअ / 2025 / 1812 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है। अन्त में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने आवेदक द्वारा चाही गई सूचना आवेदक को भिजवाये जाने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया उपस्थित रहा।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचना देने हेतु निर्देशित किये जाने उपरान्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोटपूतली बहरोड द्वारा सूचना को दिये जाने से राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
8. निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर),
कोटपूतली बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़